ग्राम पंचायत भडयाल, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2014 से 31.03.2017

भाग—एक

1 **(क) प्रस्तावनाः—**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5) C (15) LAD/2006-1266 दिनांक 7.4.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत भडयाल़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत्त थेः—

प्रधानः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री हेम राज	1.4.2014 से 22.1.2016
2	श्रीमती राधा देवी	23.1.2016 से अद्यतन

सचिवः—

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री पूरन चन्द	1.4.2014 से 15.11.2016
2	श्री चूड़ामणी	16.11.2016 से 31.3.2017

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सारः—

ग्राम पंचायत भडयाल़ के लेखाओं अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से हैः—

क्र0सं0	अनियमितता का संक्षिप्त सार	पैरा संख्या	राशि (लाखों में)
1	रोकड़ बही व बैंक खातों के अन्तिम शेष में भारी अन्तर	5	2.12
2	अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज न करना	7	1.09
3	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष	9	0.82

4	अनुदान राशि का उपयोग न करना	10	13.22
5	प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय करना	11	1.04
6	प्राक्कलन तैयार किये बिना निर्माण कार्यों पर व्यय करना	12	7.00
7	मजदूरी के रूप में अधिक भुगतान	13	0.15
8	निर्माण कार्यों हेतु वास्तविक खपत से अधिक सीमेन्ट जारी करना	14	0.09

2 वर्तमान अंकेक्षणः–

ग्राम पंचायत भडयाल़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 04/2014 से 03/2017 तक के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विपुल कुमार सूद, अनुभाग अधिकारी द्वारा दिनांक 9.5.2017 व 15.5.2017 से 19.5.2017 तक ग्राम पंचायत के कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु निम्नलिखित मासों का चयन किया गयाः–

वित्तीय वर्ष	आय की जाँच के लिए चयनित माह	व्यय की जाँच के लिए चयनित माह
2014–15	03/2015	08/2014
2015–16	03/2016	09/2015
2016–17	03/2017	03/2017

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण ग्राम पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अंकेक्षण में प्रस्तुत अभिलेख पर आधारित है। अंकेक्षण को प्रदत्त किसी गलत एवं अपूर्ण सूचना अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने की अवस्था में इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत भडयाल़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश के अवधि 1. 04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क राशि को रेखाकिंत बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या 080/2017 दिनांक 19.5.2017 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत भडयाल़ से अनुरोध किया गया है।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत भडयाल़ द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 1.04.2014 से 31.03.2017 तक के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

1 स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदानः–

		आय (₹)			व्यय (₹)		अन्तशेष (₹)
वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	स्वः स्त्रोत	विभिन्न अनुदान	योग (₹)	स्वः स्त्रोत	विभिन्न अनुदान	
2014–15	732413.55	105922.40	1077925	1916260.95	117752	1194730	603778.95
2015–16	603778.95	68413	1543578	2215769.95	69088	860791	1289890.95
2016–17	1289890.95	115403	4900967.25	6306261.20	95681	4672550	1538030.20
	दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष					2597154.72	
	रोकड़ बही अनुसार					₹1538030.20	
	पास बुकों अनुसार					₹1750433.80	
	हस्तगत शेष					₹129.00	

2 मनरेगाः–

वित्तीय वर्ष	अथशेष (₹)	प्राप्तियाँ/शेष (₹)	योग (₹)	व्यय (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2014–15	6857	1092344	1099201	1099188	13
2015–16	13	1626050	1626063	1626063	0
2016–17	0	508843	508843	508843	0

दिनांक 31.3.2017 को अन्तशेष

रोकड़ बही अनुसार	0
पास बुकों अनुसार	0

नोटः– वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण व निरीक्षण प्रतिवेदन के **"परिशिष्ट 1 व 2"** में दिया गया है।

5 स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही व सम्बन्धित बैंक खातों के अन्तिम शेष में ₹2.12 लाख का भारी अन्तरः–

ग्राम पंचायत भडयाल़ की स्वः स्त्रोत व विभिन्न अनुदान की रोकड़ बही व उससे सम्बन्धित बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते नियम, 2002 क नियम 7 (3) व 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान करना अनिवार्य था जिसके कारण

पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों में दिनांक 31.3.2017 को ₹212532.60 का अन्तर पाया गया जिसका विवरण **"परिशिष्ट–1"** में दिया गया है।

अतः पंचायत की रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान न करने बारे औचित्य स्पष्ट करते हुये उपरोक्त वर्णित अन्तर का शीघ्र मिलान किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

6 रोकड़ बहियों का रख रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत की रोकड़बहियों के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का रख रखाव नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में न तो अथशेष व अन्तिम शेष से सम्बन्धित प्रविष्टियाँ दर्ज की जा रही है एवं न ही पंचायत की आय/प्राप्त अनुदानों से सम्बन्धित सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ रोकड़बहियों में दर्ज की जा रही है। पंचायत द्वारा केवल मात्र प्राप्त आय एवं व्यय को ही रोकड़ बही में ही दर्ज कर उसका शेष शून्य कर दिया जा रहा है, जो न केवल अनियमित व आपत्तिजनक है अपितु लेखांकन के सिद्वान्तों के विरूद्ध भी है, क्योंकि नियमानुसार रोकड़ बही के अथशेष में प्राप्त आय को जमा करने उपरान्त एवं व्यय की प्रविष्टियों को उससे कम किया जाता है तथा प्राप्त अन्तिम शेष को आगामी कार्यदिवस/पृष्ठ/माह के अथशेष के रूप में दर्शाया जाता है किन्तु पंचायत द्वारा रोकड़ बही के लेखन में नियमानुसार अपनाई जाने वाली प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना की जा रही है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट करते हुये रोकड़ बहियों का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 एवं 10 तथा अन्य सम्बन्धित नियमों अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

पंचायत द्वारा रोकड़बहियों में अथशेष व अन्तिम शेष न दर्शाये जाने के कारण पंचायत की वित्तीय स्थिति (अंकेक्षण अवधि) दर्शाने/बनाने हेतु दिनांक 01.04.2014 को पंचायत के सम्बन्धित रोकड़बही के बचत खाते में जमा शेष राशि को वर्ष 2014–15 के अथशेष के रूप में दर्शाया गया है।

अतः पंचायत की अंकेक्षण अवधि की रोकड़बहियों को नियमानुसार लिखा जाना सुनिश्चित करते हुये भविष्य में भी नियमों की अनुपालना सुनिश्चित की जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

7 अनुदान ₹1.09 लाख को रोकड़ बही में दर्ज न करनाः–

ग्राम पंचायत भड़याल की रोकड़ बही एवं सम्बन्धित बैंक खातों की जाँच में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में ₹109368 की अनुदान राशि को रोकड़ बही में दर्ज नहीं किया गया था।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	खाता संख्या व बैंक का विवरण	दिनांक	राशि (₹)	टिप्पणी
1	स्वः स्त्रोत व विविध अनुदान	राज्य सहकारी बैंक नैरचौंक 31910107062	1.7.16	45750	पंचायत समिति से प्राप्त ट्रांसफर द्वारा
2	–यथोपरि–	31910107062	15.7.16	7347	
3	–यथोपरि–	31910107945	4.2.17	18883	चैक संख्या 335479 द्वारा
4	–यथोपरि–	31910107945	21.2.17	37388	चैक संख्या 335484 द्वारा
			योग	**109368**	

पंचायत द्वारा उक्त राशि के प्राप्त अनुदान को रोकड़ बही में दर्ज न करने के कारण पंचायत की वास्तविक वित्तीय स्थिति परिलक्षित नहीं होती है। अतः उक्त अनुदान राशियों को रोकड़ बही में दर्ज न करने बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुये इन राशियों को यथाशीघ्र पंचायत की रोकड़ बही में दर्ज किया जाए ताकि उनका तदानुसार व्यय किया जा सके व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

8 बजट प्राक्कलन तैयार न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म–11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा से पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अतः बजट प्राक्कलनों को तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

9 पंचायत राजस्व ₹0.82 लाख वसूली हेतु शेषः–

पंचायत की स्वः स्त्रोतों से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नविवरणानुसार दिनांक 31.3.2017 तक पंचायत के राजस्व ₹82040 की वसूली शेष थीः–

1 गृहकरः—

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2014—15	5550	26640	32190	17460	14730
2015—16	14730	28140	42870	3090	39780
2016—17	39780	28140	67920	17180	50740

2 दुकान किराया :—

वर्ष	अथशेष (₹)	माँग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतु शेष राशि (₹)
2014—15	18800	14400	33200	11100	22100
2015—16	22100	14400	36500	13400	23100
2016—17	23100	14400	37500	6200	31300

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये बकाया राशि की वसूली शीघ्र करना सुनिश्चित की जाए।

10 अनुदान ₹13.22 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **"परिशिष्ट—3"** के अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक अनुदान ₹1322298.85 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ—साथ सरकारी योजना से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुये अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

11 प्राप्त अनुदान से ₹1.04 लाख का अधिक व्यय करनाः—

ग्राम पंचायत भडयाल़ द्वारा अनुदान राशियों की प्राप्ति एवं उनके व्यय से सम्बन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख **परिशिष्ट—3** अनुसार दिनांक 31.3.2017 तक ₹104460.50 का

व्यय प्राप्त अनुदान राशियों से अधिक किया गया है। पंचायत को प्राप्त अनुदानों को शर्त अनुसार अनुदान राशि का व्यय प्राप्त अनुदान तक सीमित किया जाना अपेक्षित था। अतः प्राप्त अनुदान से अधिक व्यय पंचायत द्वारा किस स्त्रोत से एवं किसके आदेशों से किया गया है, बारे स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के अतिरिक्त अधिक व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति हेतु मामला सम्बन्धित संस्था से उठाते हुये इस राशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त भविष्य में अनुदान राशि में से व्यय प्राप्त अनुदान तक सीमित किया जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

12 निर्माण कार्यों का प्राक्कलन तैयार किये बिना ही ₹7.00 लाख का अनियमित व्यय करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000 व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता था। निर्माण कार्यों से सम्बन्धित व्यय वाउचरों की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा **"परिशिष्ट—4"** में दिये गये विवरणानुसार निर्माण कार्यों पर ₹700466 का व्यय किया गया है किन्तु इनकी प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार नहीं किये गये हैं, जोकि नियमों के अनुकूल न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः निर्माण कार्यों पर किये गये व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा किये गये व्यय की वसूली उचित स्त्रोत से करने उपरान्त अपेक्षित राशि पंचायत निधि में जमा करवाई जाए।

13 निर्माण कार्य लिंक रोड मेन रोड शेर सिंह के घर से मनसा माता मन्दिर तक मजदूरी के रूप में ₹0.15 लाख का अधिक भुगतानः—

पंचायत द्वारा मनरेगा रोकड़ बही से वर्ष 2015—16 में वाउचर संख्या 48 दिनांक 30.9.2015 द्वारा ₹26892 का भुगतान मस्ट्रोल संख्या 1808 अवधि 4.9.2015 से 17.9.2015 के एवज में मजदूरी के रूप में किया गया है।

उक्त अवधि में मजदूरी द्वारा किये गये कार्य की कार्य प्रगति जोकि माप पुस्तिका 6704 पृष्ठ 44—45 में दर्ज है मात्र ₹12385 ही बनती है एवं इस प्रकार मजदूरों को मजदूरी कार्य प्रगति से अधिक राशि देय नहीं थी।

अतः मजदूरों को ₹12385 की कार्य प्रगति के विरूद्ध ₹26892 का भुगतान कर दिया गया था एवं इस प्राकर ₹14507 का अधिक भुगतान किया गया जिसकी वसूली उत्तरदायी

व्यक्तियों से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व कृत अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

14 निर्माण कार्यों हेतु ₹0.09 लाख का अधिक सीमेन्ट जारी करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु ₹8930 का सीमेन्ट उसकी वास्तविक खपत से अधिक निम्न विवरणानुसार जारी किया गया हैः—

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0 क्रमांक व दिनांक	कार्य का नाम	प्रयोग सीमेन्ट वास्तविक (बैग)	जारी किया गया सीमेन्ट (बैग)	अधिक जारी सीमेन्ट बैग	दर प्रति बैग	राशि (₹)	माप पुस्तिका व पृष्ठ
1	मनरेगा	36 / 9.9.15	लिंक रोड व ड्रेन भडयाल टिटलू घराट से टिक्कर	30	42	12	259	3108	6704 / 45—47
2	मनरेगा	37 / 9.9.15	सिंचाई कूहल सुरेश शर्मा की जमीन से अश्वनी के खेत तक	52	65	13	259	3367	6704 / 48—49, 60—61
3	मनरेगा	65 / 28.8.14	रास्ता व नाली, भडयाल शकुन्तला के घर के पास	20	25	5	224	1120	6593 / 43—46
4	मनरेगा	314 / 30.3.17	लिंक रोड भडयाल भीखम राम के घर से चौधरी राम के घर तक	70	75	5	267	1335	8731 / 64—65
							योग	8930	

ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त वर्णित कार्यों को उन कार्यों की वास्तविक खपत से अधिक जारी किये गये सीमेन्ट के आगामी निपटारे से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया एवं न ही अधिक जारी किये गये सीमेन्ट को स्टॉक में वापिस लिया गया है।

अतः उक्त वर्णित कार्यों हेतु खपत से अधिक जारी किये गये सीमेन्ट की वसूली उत्तरदायी व्यक्ति / जिन्हें सीमेन्ट जारी किया गया है, से करने उपरान्त इस राशि को पंचायत निधि में जमा करवाया जाए एवं अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

भविष्य के सन्दर्भ में सुझाव दिया जाता है कि निर्माण कार्यों हेतु जितना सीमेन्ट आवश्यक हो उतना ही सीमेन्ट जारी किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 ₹0.44 लाख के भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध न करवानाः–

पंचायत द्वारा वर्ष 2016–17 में वाउचर संख्या 259 दिनांक 10.3.2017 द्वारा ₹44460 का भुगतान हिमाचल प्रदेश राज्य आपूर्ति निगम को चैक संख्या 368331 द्वारा 180 बैग सीमेन्ट हेतु ₹247 प्रति बैग की दर से दर्शाया गया है, किन्तु पंचायत द्वारा उक्त भुगतान से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का अभिलेख जैसे बिल/वाउचर, पूर्ति आदेश, रसीद आदि जाँच हेतु अंकेक्षण में उपलब्ध नहीं करवाई गई एवं न ही उक्त दर्शाये गये सीमेन्ट की स्टॉक प्रविष्टि एवं उसके आगामी निपटारे से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके अभाव में उक्त भुगतान को उचित नहीं ठहराया जा सका है।

अतः उक्त भुगतान से सम्बन्धित अभिलेख आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत किया जाए अन्यथा विभागीय स्तर पर जाँच करने उपरान्त इस भुगतान की गई राशि की वसूली उत्तरदायी से करने उपरान्त पंचायत निधि में जमा करवाई जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

16 ₹1.57 लाख के भुगतान से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत न करनाः–

ग्राम पंचायत भड़याल द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित मासों में ₹157430 का भुगतान मजदूरी के रूप में निम्नविवरणानुसार किया गया है।

क्र0सं0	रोकड़ बही का विवरण	वा0 क्रमांक	दिनांक	कार्य का नाम	मस्ट्रोल क्रमांक	अवधि	राशि (₹)
1	मनरेगा	46	30.9.15	निर्माण कार्य प्रोटेक्शन बाल व चैक डैम सुभाष चन्द की जमीन दर	1805	4.9.15 से 17.9.15	36890
2	सामान्य	316	30.3.17	बावड़ी ज्ञान चन्द की जमीन पर काटी तारापुर	66411	9.2.17 से 28.2.17	13588
3	सामान्य	255	28.3.17	पुल भडयाल नाला	66408	10.1.17 से 31.1.17	26164
4	सामान्य	317	30.3.17	बावड़ी हरिजन बस्ती, मलवाणा	66412	9.2.17 से 28.2.17	16800
5	सामान्य	318	30.3.17	नाली व पक्का रास्ता लक्ष्मण की गौ शाला से ओम ज्याति के घर तक	66413	9.2.17 से 28.2.17	26494

G.P. Bhadyaal

6	सामान्य	321	30.3.17	गन्दे पानी की निकासी हेतु नाली निर्माण फरवाज	66418	9.2.17 से 28.2.17	32494
7	सामान्य	322	30.3.17	–यथोपरि– घासणू	66419	9.2.17 से 28.2.17	5000
						योग	**157430**

पंचायत के निमंत्रण अधिकारी द्वारा मजदूरी के रूप में किये गये उक्त वर्णित भुगतान की कार्य प्रगति से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु वर्तमान अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत नहीं की गई, जिसके अभाव में मजदूरों को किये गये भुगतान की कार्य प्रगति की जाँच वर्तमान अंकेक्षण में नहीं की जा सकी एवं इस बात की पुष्टि भी नहीं की जा सकी कि मजदूरों को वास्तव में उक्त कार्यों हेतु इतनी मजदूरी देय थी अथवा नहीं?

अतः उक्त वर्णित मस्ट्रोलों द्वारा किये गये कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिकायें जाँच हेतु आगामी अंकेक्षण पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित की जाएं ताकि उनकी तदानुसार जाँच अंकेक्षण में की जा सके।

17 पंचायत प्रधान एवं चौकीदार को वेतन के रूप में ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान करनाः—

ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण मे ंप्रस्तुत अभिलेख की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा वर्ष 2014—15 में प्रधान श्री हेम राज एवं पंचायत चौकीदार श्री भागीरथ को वेतन की बकाया राशि के रूप में क्रमशः ₹600 व ₹400 का अधिक भुगतान निम्न विवरण अनुसार किया गया है।

(i) पंचायत द्वारा वाउचर संख्या 53 दिनांक 12.8.2014 द्वारा पंचायत पदाधिकारियों को ₹13500 का भुगतान किया गया है। जाँच में पाया गया कि उक्त भुगतान में से ₹3300 का भुगतान प्रधान श्री हेम राज को माह 07/2014 के वेतन ₹2100 एवं ₹1200 माह 04/2014 से 07/2014 के बकाया वेतन (300X4) के रूप में किया गया है, जबकि उन्हें बकाया वेतन का भुगतान ₹600 (300X2) माह 04/2014 एवं 05/2014 के रूप में ही किया जाना था क्योंकि माह 06/2014 के वेतन का भुगतान ₹2100 वाउचर संख्या 43 दिनांक 21.7.2014 द्वारा किया जा चुका था।

(ii) पंचायत चौकीदार श्री भागीरथ को ₹4800 का भुगतान वाउचर संख्या 54 दिनांक 12.8. 2014 द्वारा माह 06/2014 एवं 07/2014 के वेतन के रूप में एवं माह 04/2014 से 07/2014 के बकाया के रूप में किया गया है, जबकि उन्हें ₹4400 का ही भुगतान देय था (2000x2+200x2) एवं इस प्रकार उन्हें माह 06/2014 एवं 07/2014 के बकाया का भी भुगतान किया गया है जोकि देय नहीं था क्योंकि उन्हें 06/2014 एवं 07/2014 का वेतन

₹2000 प्रतिमाह की दर से ही किया गया है एवं इस प्रकार उन्हें ₹400 का अधिक भुगतान किया गया है।

अतः पंचायत प्रधान व चौकीदार को वेतन के बकाया भुगतान के रूप में किये गये क्रमशः ₹600 व ₹400 की वसूली सम्बन्धित से करने उपरान्त इस राशि को पंचायत निधि में जमा करवाया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 29 से 31 व अन्य विभिन्न नियमों के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	रजिस्टर का प्रकार/विवरण	प्रारूप	सन्दर्भित नियम
1	विविधानों के लिए रजिस्टर	1	12 (1), 27 (1)
2	रसीद बहियों का स्टॉक रजिस्टर	4	13 (5)
3	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
4	प्रकीर्ण माँग व संग्रहण रजिस्टर	10	33, 77 (4)
5	बजट प्राक्कलन	11, 12	37, 38
6	अनुपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	25	72 (1)
7	लेखन सामग्री से सम्बन्धित उपभोज्य वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर	26	72 (1) ख
8	मुद्रित सामग्री का स्टॉक रजिस्टर	27	72 (1) (ग)
9	तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर	31	96 (1)

19 प्रत्यक्ष सत्यापनः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं करवाया गया है जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाई जाए तथा कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

20 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई है।

21 **निष्कर्षः—** लेखों के रख रखाव में सुधार के अतिरिक्त पंचायत की आन्तरिक जाँच प्रणाली को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता है।

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15 (xi) 23 / 2017—खण्ड—1—6443—6446 दिनाँक,26.10.17
शिमला—171009,
प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत भडयाल़, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड बल्ह, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0

हस्ता / —
(ज्ञान चन्द शर्मा)
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.
0177—2620046

G.P. Bhadyaal